अध्याय — 1 अपठित गद्यांश

स्मरणीय बिंदु

अपठित का शाब्दिक अर्थ है—जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। किसी भी गद्य खंड को पढ़कर स्वयं समझने और उसके अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे पाने की क्षमता का विकास करना ही अपठित गद्यांश को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य होता है। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिक व अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है।

अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है—

- अपठित गद्यांश को दो बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि गद्यांश के मूल अर्थ को समझा जा सके। इससे विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता का भी विकास होगा।
- गद्यांश के विषय व भाव को समझना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता का विकास होता है।
- गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों को समझकर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखना चाहिए।
- विकल्प का चुनाव गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
- गद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी।

(व्यावहारिक व्याकरण)

अध्याय — 1 'पदबंध'

स्मरणीय बिंदु

शब्द	एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे—लड़का, घर आदि।
पद	'पद' की रचना शब्द से ही होती है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बनता है; जैसे—लड़का घर जाता है।
पदबंध	जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बँधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं; जैसे— मेरा एक बड़ा लड़का घर जाता है। उपर्युक्त वाक्य में 'मेरा एक बड़ा लड़का' पदबंध है।

पदबंध के भेद—पदबंध के पाँच भेद होते हैं—

(क) संज्ञा पदबंध, **(ख)** सर्वनाम पदबंध, **(ग)** विशेषण पदबंध, **(घ)** क्रिया पदबंध, **(ङ)** क्रियाविशेषण पदबंध

(क) संज्ञा पदबंध—जो पदबंध वाक्य में वही प्रकार्य करते हैं जिसे अकेला संज्ञा पद करता है; उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है; अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं।

जैसे— **(क)** मेहनत करने वाले छात्र अवश्य सफल होंगे।

(ख) मेरे पिता जी ने ठंड में ठिठुरते निर्धन एवं दुर्बल भिखारी को कंबल दिया।

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध हैं।

(ख) सर्वनाम पदबंध—जिस पदबंध में शीर्ष के स्थान पर सर्वनाम शब्द हो, उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं अर्थात् वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद होता है।

जैसे— **(क)** शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम काँप क्यों रहे हो?

(ख) तक़दीर का मारा वह कहाँ आ पहुँचा?

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध हैं।

(ग) विशेषण पदबंध—संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध की रचना प्राय: विशेषणों के योग से होती है। कहने का भाव यह है कि जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रकार्य करते हैं; उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं।

विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण का कार्य करते हैं।

जैसे— **(क)** उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है।

(ख) माताजी को हरे-हरे कच्चे आम खरीदने हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध हैं।

(घ) क्रिया पदबंध— क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं।

जैसे— **(क)** नौका नदी में डूबती चली गई।

(ख) उसे सुनाई पड़ रहा है।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रेखांकित पद क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं।

(ङ) क्रियाविशेषण पदबंध— वाक्य में जो पदबंध क्रियाविशेषण पद के स्थान पर आकर वही कार्य करता है जो अकेला क्रियाविशेषण पद करता है तो उस पदबंध को 'क्रियाविशेषण' पदबंध कहते हैं। क्रियाविशेषण पदबंध में शीर्ष के स्थान पर कोई क्रियाविशेषण शब्द आता है;

जैसे— **(क)** वह बहुत तेज़ दौड़कर आती है। (रीतिवाचक क्रियाविशेषण पदबंध)

(ख) मैं कल शाम को छः बजे आऊँगा। (कालवाचक क्रियाविशेषण पदबंध)

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में रेखांकित पद क्रियाविशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं।

अध्याय — 2 रचना के आधार पर वाक्य-रूपांतरण

स्मरणीय बिंदु

वाक्य— शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो, वाक्य कहलाता है। जैसे—जयशंकर प्रसाद जी ने 'कामायनी' नामक ग्रन्थ की रचना की।

वाक्य के दो अंग होते हैं—

(क) उद्देश्य—वाक्य का वह अंश उद्देश्य कहलाता है, जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो।

नीचे के वाक्यों में रेखांकित शब्द उद्देश्य हैं—

लड़का गया।

छात्र पास हो गए।

उस व्यक्ति का लड़का गया।

उस स्कूल के सभी छात्र पास हो गए।

(ख) विधेय—वाक्य का वह अंश विधेय होता है, जो वाक्य के उददेश्य के बारे में सूचना देता है। नीचे के वाक्यों में रेखांकित शब्द विधेय हैं—

लड़का गया।

छात्र पास हो गए।

लड़का आज गया।

छात्र अन्तिम परीक्षा में पास हो गए।

वाक्य-भेद— वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं—

(1) अर्थ के आधार पर (2) रचना के आधार पर

विशेष— आपके पाठ्यक्रम में केवल रचना के आधार पर वाक्यों की संरचना और वाक्य-रूपांतर निर्धारित है अत: यहाँ इन्हीं का परिचय दिया जा रहा है।

रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—

(1) सरल या साधारण वाक्य (2) संयुक्त वाक्य (3) मिश्र वाक्य

(1) सरल या साधारण वाक्य— जिस वाक्य में एक उददेश्य तथा एक विधेय होता है, वह साधारण वाक्य कहलाता है; जैसे—

(i) सुधीर फुटबॉल खेलता है। (ii) वर्षा हो रही है।

इन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, अत: ये सरल वाक्य हैं।

(2) संयुक्त वाक्य— जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है; जैसे—

(i) राम आया और श्याम गया।

(ii) चुपचाप बैठो अथवा यहाँ से चले जाओ।

(iii) वह भूखा था परन्तु उसने खाना नहीं खाया।

इन वाक्यों में दो-दो वाक्य स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कोई भी वाक्य एक-दूसरे पर आश्रित नहीं है।

(3) मिश्र वाक्य— जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों तथा वे किसी योजक से जुड़े हों और उनमें एक उपवाक्य मुख्य तथा अन्य उस पर आश्रित हों तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं; जैसे—

(i) विनोद ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है।

(ii) जो लड़का कमरे में बैठा है, वह मेरा मित्र है।

इन वाक्यों में 'विनोद ने कहा' तथा 'मेरा मित्र है'—ये दोनों मुख्य उपवाक्य हैं, क्योंकि इनके आगे आने वाले वाक्य 'वह दिल्ली जा रहा है' तथा 'लड़का कमरे में बैठा है' क्रमश: 'कि' तथा 'जो' योजक से जुड़े हैं, अत: ये दोनों आश्रित उपवाक्य हैं।

मिश्र वाक्य में तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं—

(1) संज्ञा उपवाक्य (2) विशेषण उपवाक्य (3) क्रियाविशेषण उपवाक्य

(1) संज्ञा उपवाक्य— जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं; जैसे—

उसने कहा कि मैं स्कूल जाऊँगा।

इस वाक्य में 'मैं स्कूल जाऊँगा' वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य अधिकतर प्रधान उपवाक्य से 'कि' योजक द्वारा जुड़े होते हैं।

(2) विशेषण उपवाक्य— जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं; जैसे—वही विद्यार्थी सफल होते हैं जो परिश्रमी होते हैं। यहाँ 'जो परिश्रमी होते हैं' विशेषण उपवाक्य है।

विशेषण उपवाक्य प्राय: सम्बन्धवाचक सर्वनाम 'जो' और उसके विभिन्न रूपों (जिसने, जिसे, जिन्होंने, जिसके लिए, जिनका आदि) से प्रारम्भ होते हैं।

(3) क्रियाविशेषण उपवाक्य— जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रियाविशेषण उपवाक्य कहते हैं; जैसे—

(i) जब भी मुझे आवश्यकता हुई, मित्रों ने मेरी सहायता की।

(ii) जहाँ-जहाँ हम गए, हमारा स्वागत हुआ।

इन वाक्यों में 'जब भी' और 'जहाँ-जहाँ' से आरम्भ होने वाले उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के समय अथवा स्थान का बोध करा रहे हैं, अत: ये क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं।

क्रिया-विशेषण उपवाक्य पाँच प्रकार के होते हैं—

(1) कालसूचक— ये उपवाक्य जब, ज्यों ही, जब तक, जब कभी आदि से प्रारम्भ होते हैं।

(2) स्थानसूचक— ये उपवाक्य जहाँ, जहाँ से, जिधर आदि शब्दों से प्रारम्भ होते हैं।

(3) रीतिसूचक— ये उपवाक्य जैसा, वैसा, इधर आदि शब्दों से प्रारम्भ होते हैं।

(4) परिमाणसूचक— ये उपवाक्य ज्यों-ज्यों, जैसे-जैसे, जहाँ तक, जितना आदि शब्दों से प्रारम्भ होते हैं।

(5) परिणाम (कार्य-करण) सूचक— ये उपवाक्य क्योंकि, कि, जो, यदि, यद्यपि, चाहे जो, जिसके, ताकि आदि शब्दों से प्रारम्भ होते हैं।

वाक्य-रचनांतरण या रूपांतर

सरल वाक्य को संयुक्त एवं मिश्र बनाना, संयुक्त को सरल एवं मिश्र बनाना तथा मिश्र को सरल वाक्य बनाना वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण है।

वाक्य रूपांतर करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य के मूल अर्थ में कोई अन्तर न आए। कुछ उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं—

(1) **सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य—**

सरल वाक्य—वह फल खरीदने के लिए बाज़ार गया।

संयुक्त वाक्य—वह बाज़ार गया और उसने वहाँ से फल खरीदे।

सरल वाक्य—आलसी होने के कारण वह असफल हो गया।
संयुक्त वाक्य—वह आलसी था इसलिए असफल हो गया।

(2) **सरल वाक्य से मिश्र वाक्य**—

सरल वाक्य—अपने पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताओ।
मिश्र वाक्य—तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है?
सरल वाक्य—कमाने वाला खाएगा।
संयुक्त वाक्य—जो कमाएगा, वह खाएगा।

(3) **संयुक्त से मिश्र वाक्य**—

संयुक्त वाक्य—सुषमा आई और मीना चली गई।
मिश्र वाक्य—जैसे ही सुषमा आई वैसे ही मीना चली गई।
संयुक्त वाक्य—विद्यार्थी परिश्रमी है इसलिए अवश्य सफल होगा।
मिश्र वाक्य—जो विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा।

अध्याय — 3 समास

स्मरणीय बिंदु

परिभाषा— दो या दो से अधिक शब्दों (पदों) के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है, उसे समस्त-पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों आदि शब्दों का लोप हो जाता है।

जैसे, 'देश का भक्त' का समास हुआ—देशभक्त।

समास रचना में दो शब्द (पद) होते हैं। पहला पद 'पूर्व पद' कहा जाता है और दूसरा पद 'उत्तर पद' तथा इन दोनों के संयोग से बना नया शब्द समस्त पद या समास कहलाता है; जैसे—

पूर्व पद	**उत्तर पद**	**समस्त पद/समास पद**
दश	आनन	दशानन
घोड़ा	सवार	घुड़सवार
राजा	पुत्र	राजपुत्र
यश	प्राप्त	यशप्राप्त

समास-विग्रह— जब समस्त पद के सभी पद अलग-अलग किए जाते हैं तब, उस प्रक्रिया को 'समास विग्रह' कहते हैं। जैसे—सीता-राम समस्त पद का विग्रह होगा—सीता और राम।

संधि व समास में अन्तर— संधि और समास में मुख्य अंतर यह है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों (पदों) का मेल होता है। संधि शब्द को अलग करने की प्रक्रिया 'संधि-विच्छेद' कहलाती है, जबकि समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया को 'समास विग्रह' कहते हैं; जैसे—

पुस्तकालय = पुस्तक + आलय (अ + आ)—संधिविच्छेद

पुस्तकालय = पुस्तकों के लिए आलय—समास विग्रह

समास के भेद— समास के निम्नलिखित छः प्रमुख भेद हैं—

(1) तत्पुरुष समास
(2) कर्मधारय समास
(3) द्विगु समास
(4) द्वन्द्व समास
(5) बहुव्रीहि समास
(6) अव्ययीभाव समास

1. तत्पुरुष समास

जब पूर्व पद विशेषण होने के कारण 'गौण' तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण 'प्रधान' होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष के अग्रलिखित भेद होते हैं—

(i) कर्म तत्पुरुष— जिसके पूर्व पद में कर्मकारक की विभक्ति 'को' का लोप हो, वहाँ 'कर्म तत्पुरुष' होता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
स्वर्गप्राप्त	स्वर्ग को प्राप्त
ग्रामगत	ग्राम को गत

समस्त पद	**विग्रह**
परलोकगमन	परलोक को गमन
मरणासन्न	मरण को आसन्न (पहुँचा हुआ)
यशप्राप्त	यश को प्राप्त

(ii) करण तत्पुरुष— जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति 'से', 'द्वारा' का लोप हो, वहाँ 'करण तत्पुरुष' होता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
रोगग्रस्त	रोग से ग्रस्त
हस्तलिखित	हाथ से लिखा हुआ
तुलसीकृत	तुलसी द्वारा कृत
अकालपीड़ित	अकाल से पीड़ित
शोकाकुल	शोक से आकुल

(iii) संप्रदान तत्पुरुष— जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति 'के लिए' का लोप होता है, वहाँ 'संप्रदान तत्पुरुष' होता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
देवालय	देव के लिए आलय
हवनसामग्री	हवन के लिए सामग्री
रसोईघर	रसोई के लिए घर
सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह
विद्यालय	विद्या के लिए आलय

(iv) अपादान तत्पुरुष— जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति 'से' (अलग होने का भाव) या डर (भय) का लोप होता है, वहाँ 'अपादान तत्पुरुष' होता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
भयभीत	भय से भीत
पथभ्रष्ट	पथ से भ्रष्ट
रोगमुक्त	रोग से मुक्त
ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त

(v) संबंध तत्पुरुष— जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति 'का, की, के' का लोप होता है, वहाँ 'संबंध तत्पुरुष' होता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
सेनापति	सेना का पति
राजपुत्र	राजा का पुत्र
सेनानायक	सेना का नायक
राजसभा	राजा की सभा
गृहस्वामी	गृह का स्वामी

(vi) अधिकरण तत्पुरुष— जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति 'में', 'पर', का लोप होता है, वहाँ 'अधिकरण तत्पुरुष' होता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
कार्यकुशल	कार्य में कुशल
शोकमग्न	शोक में मग्न

OSWAAL BOOKS LEARNING MADE SIMPLE

शरणागत	शरण में आगत
लोकप्रिय	लोक में प्रिय
दानवीर	दान में वीर

(vii) नञ् तत्पुरुष– जहाँ, अभाव, कमी, निषेध को सूचित करने के लिए 'अ' या 'अन्' लगा हो वहाँ 'नञ् तत्पुरुष समास' होता है; जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
अयोग्य	न योग्य
अनादर	न आदर
अस्थिर	न स्थिर
अज्ञात	न ज्ञात
अपुत्र	न पुत्र

2. कर्मधारय समास

कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है या पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय-उपमान संबंध होता है; जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
नीलकण्ठ	नीला है जो कण्ठ
पीताम्बर	पीत (पीला) है जो अम्बर
महात्मा	महान् है जो आत्मा
महापुरुष	महान् है जो पुरुष
घनश्याम	घन के समान श्याम
कमलनयन	कमल के समान नयन
मुखचन्द्र	मुख रूपी चन्द्र
विद्याधन	विद्या रूपी धन
चरण-कमल	कमल रूपी चरण
नीलकमल	नीला है जो कमल

3. द्विगु समास

जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समूह या समाहार का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं; जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
तिरंगा	तीन रंगों का समाहार
पंचवटी	पाँच वटों का समाहार
त्रिफला	तीन फलों का समाहार
चौराहा	चार राहों का समाहार
सप्तशती	सात सौ का समाहार

4. द्वंद्व समास

जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हों तथा 'और', 'या' 'अथवा' शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है; जैसे–

समस्त पद	**विग्रह**
रात-दिन	रात और दिन
दीन-दु:खी	दीन और दु:खी
साधु-संत	साधु और संत
हवा-पानी	हवा और पानी
अन्न-जल	अन्न और जल
लाभ-हानि	लाभ या हानि

5. बहुब्रीहि समास

जिस सामासिक पद के दोनों पद गौण होते हैं। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, वे बहुब्रीहि समास कहलाते हैं; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
चक्रधर	चक्र धारण किया है जिसने (विष्णु)
वीणापाणि	वीणा है पाणि में जिसके (सरस्वती)
नीलकंठ	नीला है कंठ जिसका (शिव)
लंबोदर	लंबा है उदर जिसका (गणेश)
पीतांबर	पीला है अंबर जिसका (विष्णु)

6. अव्ययीभाव समास

जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान व अव्यय होता है और वह अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है; जैसे—

समस्त पद	**विग्रह**
प्रतिदिन	हर दिन
यथाशक्ति	शक्ति के अनुसार
घर-घर	हर घर में
प्रत्येक	हर एक
आजीवन	जीवन भर

अध्याय – 4 मुहावरे

स्मरणीय बिंदु

मुहावरा– जब कोई शब्द-समूह या वाक्यांश अपना साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं; जैसे 'सिर हथेली पर रखना' का सामान्य अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना सिर हथेली पर नहीं रखता, अत: इसका लाक्षणिक (रूढ़) अर्थ लिया जाता है—बड़े-से-बड़े बलिदान के लिए प्रस्तुत होना। मुहावरे मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को अधिक चुस्त, सशक्त, आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं।

लोकोक्ति– यह शब्द 'लोक + उक्ति' से बना है जिसका अर्थ है—जनसाधारण में प्रचलित कथन। लोकोक्तियों का निर्माण जीवन के अनुभवों के आधार पर होता है। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए उदाहरण देने या अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है।

मुहावरे और लोकोक्ति में अन्तर– बहुत से लोग मुहावरे तथा लोकोक्ति में कोई अन्तर ही नहीं समझते। दोनों का अन्तर निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है—

(1) लोकोक्ति लोक में प्रचलित होती है जो भूतकाल का अनुभव लिए हुए होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है।

(2) लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है।

(3) पूर्ण वाक्य होने के कारण लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है।

(4) पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है।

विशेष—सी. बी. एस. ई. पाठ्यक्रम में केवल मुहावरे ही निर्धारित हैं, अत: यहाँ इन्हीं का ही विवरण दिया जा रहा है।

मुहावरों के अर्थ व उनके प्रयोग

1. **अन्न-जल उठना—**रहने का संयोग खत्म हो जाना
   अब तो उनका संसार से अन्न-जल उठ गया था।

2. **अक़्ल का दुश्मन**—मूर्ख
रोहित को बार-बार समझाने पर भी वह कोई काम ठीक प्रकार से नहीं करता; वह तो अक़्ल का दुश्मन है।
3. **अपना उल्लू सीधा करना**—स्वार्थ सिद्ध करना
आजकल के नेता देश-सेवा के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं।
4. **अपने पैरों पर खड़े होना**—आत्मनिर्भर बनना
आजकल लड़कियाँ भी पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ी हैं।
5. **आग-बबूला होना**—बहुत अधिक क्रोध करना
नौकर द्वारा चोरी किए जाने पर शर्मा जी आग-बबूला हो गए।
6. **आसमान सिर पर उठा लेना**—बहुत अधिक शोर मचाना
अध्यापक के कक्षा से जाते ही सभी बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया।
7. **आस्तीन का साँप**—धोखेबाज मित्र
राकेश ने धोखे से मोहन की सारी सम्पत्ति हड़प ली। वह तो आस्तीन का साँप निकला।
8. **आकाश-पाताल एक करना**—बहुत परिश्रम करना
विजय ने कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश-पाताल एक कर दिया।
9. **आवाज़ उठाना**—विरोध करना।
युवाओं ने आरक्षण के विरुद्ध आवाज़ उठाई।
10. **अपने पाँवों पर खुद कुल्हाड़ी मारना**—अपनी हानि स्वयं करना
समय का सदुपयोग न कर विद्यार्थी स्वयं ही अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
11. **आपे से बाहर होना**—क्रोध में मर्यादा लाँघ जाना
शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर परशुराम आपे से बाहर हो गए।
12. **आकाश-पाताल का अंतर**—बहुत अधिक अंतर
सगे भाई होने पर भी रावण और विभीषण दोनों के व्यवहार में आकाश-पाताल का अंतर था।
13. **अंग-अंग टूटना**—सारे बदन में दर्द होना
इस बुखार से तो मेरा अंग-अंग टूट रहा है।
14. **अँगूठा दिखाना**—साफ़ इंकार कर देना
जब मैंने सेठ जी से सहायता माँगी तो उन्होंने मुझे अँगूठा दिखा दिया।
15. **आँखों का तारा**—बहुत प्यारा
राजीव सभी की आँखों का तारा है।
16. **आँखें खुलना**—होश आना
धोखा खाकर ही सही। चलो! तुम्हारी आँखें तो खुलीं।
17. **आँखें फेर लेना**—प्रतिकूल होना
मुसीबत आते ही परिवार के लोगों ने मुझसे आँखें फेर लीं।
18. **आँखों में धूल झोंकना**—धोखा देना
चोरों ने पुलिस की आँखों में धूल झोंक दी।
19. **आँख लगना**—नींद आना
गाड़ी चलते ही मेरी आँख लग गई।
20. **अठखेलियाँ सूझना**—मज़ाक करना
हम मुसीबत में फँसे हैं और तुम्हें अठखेलियाँ सूझ रही हैं।
21. **आग में घी डालना**—क्रोध को बढ़ाना
बाबू जी तो गुस्से में थे, न कहकर तुमने और आग में घी डाल दिया।
22. **आकाश से तारे तोड़ना**—बहुत कठिन काम करना
सरकारी अफ़सरों से अपना काम कराना तो आज़कल आकाश से तारे तोड़कर लाने के समान है।
23. **एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना**—पूरा ज़ोर लगाना/पूरी ताकत लगाना
चुनाव में जीतने के लिए इस बार नेता जी ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया।
24. **ईद का चाँद होना**—बहुत दिनों बाद दिखाई देना
अरे करीम भाई! तुम तो ईद के चाँद हो गए।
25. **कानों-कान खबर न होना**—बिलकुल पता न लगना
अजय कब शहर छोड़कर चला गया। इस बात की किसी को कानों-कान खबर तक नहीं हुई।
26. **कलेजा ठंडा होना**—मन को शांति प्राप्त होना
अपने पोते से मिलकर दादा-दादी का कलेजा ठंडा हो गया।

OSWAAL BOOKS® LEARNING MADE SIMPLE

27. **खून-पसीना एक करना**—बहुत अधिक परिश्रम करना
फ़ैक्टरी को चलाने के लिए श्रीवास्तव जी ने खून-पसीना एक कर दिया।
28. **खाक छानना**—व्यर्थ इधर-उधर घूमना
नौकरी न होने के कारण दीपक आजकल ख़ाक छानता फिर रहा है।
29. **घड़ों पानी पड़ना**—शर्मिंदा होना
महेश जब पैसे चुराते हुए पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया।
30. **कोल्हू का बैल**—बहुत अधिक मेहनती
राकेश ने अपनी बहन को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम किया।
31. **काला अक्षर भैंस बराबर**—अनपढ़
ज़मींदार जानता है कि रामू के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है।
32. **गड़े मुर्दे उखाड़ना**—पिछली भूली बातों को याद करना
अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो।
33. **गुड़-गोबर होना**—बने हुए काम का बिगड़ना
प्रदर्शनी में खूब चहल-पहल थी कि अचानक बारिश ने आकर सब गुड़-गोबर कर दिया।
34. **घी के दीए जलाना**—खुशियाँ मनाना
रामचंद्र जी के वनवास से लौटने पर पूरी अयोध्या नगरी में घी के दीपक जलाए गए।
35. **चिकना घड़ा**—बेशर्म
प्रमोद को समझाने से कोई लाभ नहीं, वह तो चिकना घड़ा है।
36. **चार चाँद लगाना**—प्रतिष्ठा बढ़ाना
सभासद के आयोजन में आते ही कार्यक्रम में चार चाँद लग गए।
37. **छाती पर साँप लोटना**—ईर्ष्या से जलना
मोहन की उन्नति देखकर उसके मित्रों की छाती पर साँप लोट गए।
38. **जान पर खेलना**—प्राणों को संकट में डालना
भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं।
39. **टका-सा जवाब देना**—साफ़ इंकार करना
मैं उससे सहायता माँगने गया था, परंतु उसने मुझे टका-सा जवाब दे दिया।
40. **टाँग अड़ाना**—व्यर्थ में दखल देना
सौरभ से चाहे पूछो न पूछो, वह हर बात में टाँग अड़ाता रहता है।
41. **ढेर हो जाना**—मर जाना
भारतीय सैनिकों ने चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया।
42. **तिल का ताड़ बनाना**—बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बात कहना
रमेश ज़रा-ज़रा सी बात पर तिल का ताड़ बना देता है।
43. **तूती बोलना**—प्रभाव होना
इंजीनियर साहब इतने प्रभावशाली हैं कि सारे विभाग में उनकी तूती बोलती है।
44. **पाँचों उंगली घी में होना**—लाभ ही लाभ होना
इस साल व्यापार में इतना मुनाफा हुआ कि सेठ जी की तो पाँचों उँगलियाँ घी में हैं।
45. **थाली का बैंगन**—सिद्धांतहीन व्यक्ति
हर्षित पर विश्वास करना ठीक नहीं, वह तो थाली का बैंगन है।
46. **दाल न गलना**—सफल न होना
सुखवीर ने भरसक प्रयत्न किया परंतु अफसर के आगे उसकी दाल न गली।
47. **दाल में कुछ काला होना**—कुछ संदेह होना
राकेश की चुप्पी से लगता है कि दाल में कुछ काला है।
48. **अपने पैरों पर खड़ा होना**—स्वावलंबी होना
बेटे का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए।
49. **ऊँट के मुँह में जीरा**—आवश्यकता से बहुत कम
इन परीक्षक महोदय को मूल्यांकन के लिए 20 कॉपी देना ऊँट के मुँह में जीरा देना है क्योंकि ये तो 100-100 कॉपी एक दिन में जाँच लेते हैं।

गद्य-खंड (ब) वर्णनात्मक प्रश्न पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग-2

अध्याय — 1 बड़े भाई साहब (प्रेमचंद)

स्मरणीय बिंदु

पाठ का सारांश

प्रस्तुत कहानी 'बड़े भाईसाहब' कथाकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक भाईसाहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वे जो भी करें, वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है।

अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है काश, हम भी बड़े होते तो कोई हमें यूँ न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के अन्य लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हैं क्यों, क्योंकि वे अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते।

कहानी में, एक बड़े भाई साहब हैं। वे अपने छोटे भाई से पाँच साल बड़े हैं। छोटे भाई की आयु नौ साल है तो बड़े भाई की आयु चौदह साल है। बड़े भाई नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं, जबकि छोटा भाई पाँचवी कक्षा में पढ़ता है। बड़े भाई साहब, छोटे भाई को अपने बड़े होने का एहसास कराते रहते हैं। वे चाहते हैं कि

वह (भाई) बहुत पढ़े-लिखे। परन्तु छोटे भाई का मन पढ़ाई में कम और खेल में ज़्यादा लगता है। मौक़ा मिलते ही वह हॉस्टल से बाहर निकलकर, मैदान में आकर कभी कंकरियाँ उछालता, तो कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। लेकिन कमरे में वापस आते ही बड़े भाई साहब का रौद्र-रूप देखकर उसके प्राण सूख जाते। उनकी लताड़ सुनकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते। भाई साहब उसे उपदेश देने लगते। वे उपदेश की कला में बहुत निपुण थे। उनके उपदेश सुनकर छोटे भाई की हिम्मत टूट जाती और वह निराश हो जाता। वह फिर से आशावान होकर, पढ़ाई करने के लिए टाइम-टेबिल बनाता, लेकिन खेलों में रुचि होने के कारण वह कभी भी टाइम-टेबिल के अनुसार पढ़ नहीं पाता। भाई साहब की इतनी फटकार व घुड़कियाँ खाकर भी वह खेलों का तिरस्कार नहीं कर पाता। सालाना परीक्षा में छोटा भाई प्रथम आया और बड़े भाई साहब स्वभाव से इतने अध्ययनशील होने के बाद भी फेल हो गए। अब वह अपने बड़े भाई से दो साल ही पीछे रह जाता है। इतना अधिक पढ़कर भी भाई साहब फेल हो जाते हैं और इतना कम पढ़कर और मज़े से खेलकर भी वह प्रथम दरजे में पास हो जाता है। उसे इस बात से अभिमान हो जाता है। अब वह आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगता है।

एक दिन गुल्ली-डंडा खेलकर जैसे ही लेखक हॉस्टल पहुँचता है, भाई साहब छोटे भाई पर टूट पड़ते हैं। वे कहते हैं कि प्रथम दरजा आने पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आदमी कुछ भी कुकर्म करे पर अभिमान न करे। घमंड तो बड़े-बड़े का नहीं रहा। केवल इम्तिहान पास कर लेने पर घमंड नहीं करना चाहिए। असल चीज़ तो बुद्धि का विकास है, जो कुछ पढ़ा हो, उसका अभिप्राय भी समझना चाहिए। वे छोटे भाई (लेखक) से कहते हैं कि 'मेरे फेल होने पर मत जाना। मेरे दरजे में आओगे तो पढ़ाई करने में दाँतों पसीना आ जाएगा। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कहता हूँ उसे गिरह बाँधिए, नहीं पछताइएगा।' लेकिन इतने तिरस्कार पर भी छोटे भाई की पुस्तकों में अरुचि रही और खेलकूद में रुचि।

अगले वर्ष के सालाना इम्तिहान में फिर से भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई अव्वल दरजे में पास हो गया। अब बड़े भाई साहब और छोटे भाई की कक्षाओं में एक साल का ही अन्तर रह गया था। छोटा भाई, बड़े भाई की उपदेश माला, फटकार और तिरस्कार से इतना भयभीत हो चुका था कि उसके मन में यह कुटिल भावना आई कि भाईसाहब एक साल और फ़ेल हो जाएँ तो दोनों एक ही दरजे में हो जायँगे। फिर वे उसकी फ़जीहत नहीं कर पाएँगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि वे उसके हित के लिए ही तो उसको डाँटते हैं। शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि वह इतने अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। तब उसने अपनी कुटिल भावना को बलपूर्वक निकाल फेंका। फिर भी छोटे भाई को अपने ऊपर अहंकार हो जाता है। वह बड़े भाई की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगता है। वह पढ़ाई में कम ध्यान देने लगता है और स्वच्छंद होकर बच्चों के साथ पतंग उड़ाने, खेलने में समय बिताने लगता है।

एक दिन बड़े भाई साहब उसे लड़कों के साथ गली में पतंग लूटते हुए देख लेते हैं तो गुस्से से बोलते हैं कि इन बाज़ारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर वे उसे तरह-तरह के तर्कों द्वारा समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें (लेखक को) अपने मन से यह अहंकार निकाल देना चाहिए कि वह उनसे महज़ एक दरजा नीचे है क्योंकि पाँच साल बड़ा होने के कारण उनको जो दुनिया व ज़िन्दगी का तजुरबा है, वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वे उसे अपनी अम्मा-दादा का तथा हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ का उदाहरण देकर भी समझाते हैं।

अंततः छोटा भाई उनकी बातों के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसके मन में बड़े भाई के लिए श्रद्धा का भाव जाग्रत हो उठता है। बड़े भाई उसको गले लगाते हुए कहते हैं कि वे उसे कनकौए उड़ाने को मना नहीं करते। मन तो उनका भी कनकौए उड़ाने को ललचाता है लेकिन वे उड़ाते नहीं हैं क्योंकि छोटे भाई को सही राह पर ले जाने के लिए खुद को बेराह होने से रोक कर ही वे छोटे भाई के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा सकते हैं।

संयोग से उसी वक़्त भाई साहब ने एक कटकर जा रहे कनकौए की लटक रही डोर को उछल कर पकड़ा और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी और पीछे-पीछे छोटा भाई भी दौड़ पड़ा।

अध्याय — 2 डायरी का एक पन्ना (सीताराम सेकसरिया)

स्मरणीय बिंदु

इस पाठ में लेखक की डायरी का 26 जनवरी, 1931 का लेखा-जोखा है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता (कोलकाता) के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत जोश-खरोश से मनाया। बंगाल के लोगों ने इसमें भाग लेने के लिए बहुत तैयारियाँ कीं। मकानों पर राष्ट्रीय झंडे फहराए। उत्साह व नवीनता के साथ हर स्थान की सजावट की। कौंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि मोनुमेंट के नीचे ध्वजारोहण होगा व सभा होगी। जबकि ब्रिटिश सरकार के नोटिस के अनुसार यह सभा करना अपराध माना गया। बंगाल के लोगों ने इसे खुला चैलेंज मानते हुए, कानून भंग कर सभा की। पुलिस की बर्बरता और ज़ुल्मों के बाद भी हज़ारों लोगों ने आज़ादी के महासंग्राम में हिस्सा लिया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में औरतें भी शामिल थीं। पुलिस की लाठियाँ खाकर, खून बहाकर भी जुलूस निकाला गया व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में जनता ने आज़ादी की अलख जगाई थी। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी, 1930 को गुलाम भारत में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के ढाई साल बाद, 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना।

लेखक कहता है कि भारत में सबसे पहले 26 जनवरी, 1930 को सारे हिन्दुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। परन्तु उस वर्ष कोलकाता इसमें शामिल नहीं था। अगले वर्ष 26 जनवरी, 1931 में उसकी वर्षगांठ मनायी जानी थी। इस वर्ष कलकत्ता में स्वतंत्रता-दिवस मनाने के लिए काफी तैयारियाँ पहले से की गई थीं। खूब प्रचार किया गया जिसमें दो हज़ार रुपए खर्च किए गए। घर-घर जाकर लोगों को समझाया गया। मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। आम लोगों में उत्साह व नवीनता थी। पुलिस भी पूरी ताक़त के साथ गश्त दे रही थी।

मोनुमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह छः बजे से ही घेर लिया था। कई स्थानों पर सुबह ही झंडा फहराया गया। पुलिस ने कई लोगों को मारा-पीटा या हटा दिया। काफी मारपीट होने से कई लोगों के सिर फट गए। लड़कियों ने भी जुलूस निकाला। उनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। स्त्री समाज ने भी जगह-जगह से जुलूस निकाले। तीन बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ एकजुट होने लगी।

अंग्रेज़ों के बनाए कानून भंग पर काम शुरू होने के बाद से आज तक इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी। यह सभा करना तो ओपन लड़ाई थी क्योंकि पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी और सभा में भाग लेने वाले को दोषी माना जाएगा। जबकि कौंसिल की तरफ से निकले नोटिस के अनुसार, मोनुमेंट के नीचे झंडारोहण होगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। खुले चैलेंज की यह पहली सभा थी। सुभाष बाबू जब जुलूस लेकर आए जो पुलिस उन्हें भीड़ की अधिकता के कारण रोक नहीं सकी तो उसने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। सुभाष बाबू को व अन्य लोगों को लाठियाँ पड़ीं जिससे वे सब घायल हो गए। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदेमातरम् बोल रहे थे। पुलिस द्वारा किए गए भयानक लाठीचार्ज से क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया था। बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों ने मोनुमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा दिया था। सुभाष बाबू को लॉकअप में भेज दिया गया। भीड़ ज़्यादा होने से बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। स्त्रियों को भी पकड़कर लाल बाज़ार भेज दिया गया। पुलिस का लाठीचार्ज भी चलता रहा। कई आदमियों को पकड़ा गया।

105 स्त्रियों को पकड़ा गया जिन्हें रात को छोड़ भी दिया गया। कलकत्ता में पहले कभी इतनी स्त्रियाँ एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थीं। बहुत-से आदमियों की चोट लगने से हालत खराब थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख-रेख कर रहे थे व उनकी फोटो उतरवा रहे थे।

कलकत्ता में उस दिन जो हुआ, वह अपूर्व हुआ था। बंगाल और कलकत्ता के नाम पर लगा कलंक भी बहुत हद तक धुल गया था।

अध्याय — 3 तताँरा-वामीरो कथा (लीलाधर मंडलोई)

स्मरणीय बिंदु

प्रस्तुत पाठ 'तताँरा वामीरो कथा' अंदमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केन्द्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष की जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म-बलिदान तक देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने को बलिदान करता है, समाज उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं।

सदियों पूर्व जब लिटिल अंदमान और कार-निकोबार आपस में जुड़े थे तब वहाँ एक गाँव था। उस गाँव में एक सुन्दर, शक्तिशाली, परोपकारी, दयालु स्वभाव का युवक रहा करता था। उसका नाम था—तताँरा। उससे सभी लोग बहुत प्रेम करते थे। वह गाँव में सभी की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक शाम वह दिन भर की थकान के बाद समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसके कानों में एक मधुर गीत का स्वर सुनाई दिया। वह गाने की दिशा में सुध-बुध खोते हुए आगे बढ़ा, वहाँ उसने लहरों के किनारे एक युवती को देखा जो गीत गा रही थी। वह उसे देखकर एवं उसका गीत सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। दोनों में परिचय हुआ। उसे पता चला वह लड़की पास के किसी दूसरे गाँव की थी। उसका नाम वामीरो था। धीरे-धीरे वे दोनों प्रतिदिन एक-दूसरे से मिलने लगे। उनके मिलने की खबर धीरे-धीरे गाँव में फैल गई। एक दिन जब वे दोनों मेले में पहुँचे तब उन्हें ग्रामीणों द्वारा मिलते हुए देख लिया गया। उस गाँव की परम्परा के अनुसार किसी युवती का दूसरे गाँव के युवक के साथ यह सम्बन्ध परम्परा के विरुद्ध था। उनका विवाह नहीं हो सकता था। यह विरोध देखकर तताँरा को क्रोध आ गया। वह द्वीप के इस ओर था और वामीरो द्वीप के दूसरी तरफ़ थी। गुस्से में आकर युवक ने अपनी शक्ति युक्त तलवार ज़मीन में गाड़ दी जो धीरे-धीरे उस द्वीप को दो भागों में बाँटती चली गई। तताँरा गड्ढे में धँसता चला गया। अन्त में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए।

इस प्रकार दो प्रेमियों के बलिदान द्वारा उस द्वीप की परम्परा में परिवर्तन आ गया। अब सम्पूर्ण निकोबारी द्वीप में किसी भी गाँव अथवा स्थान के युवक-युवती से विवाह करने की नई परम्परा की शुरुआत हो गई। तताँरा-वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।

अध्याय — 4 तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेन्द्र (प्रहलाद अग्रवाल)

स्मरणीय बिंदु

साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रवार ऐसा जाता हो जब कोई-न-कोई हिन्दी फ़िल्म सिनेमा के पर्दे पर न पहुँचती हो। इनमें से कुछ सफ़ल रहती हैं तो कुछ असफ़ल। कुछ दर्शकों को कुछ अर्से तक याद रह जाती हैं, कुछ को वह सिनेमाघर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई फ़िल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फ़िल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है।

एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फ़िल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवि और गीतकार शैलेन्द्र ने जब फणीश्वरनाथ रेणु की अमर कृति 'तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम' को सिने पर्दे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई। आज भी उसकी गणना हिन्दी की कुछ अमर फ़िल्मों में की जाती है। इस फ़िल्म ने न केवल अपने गीत, संगीत, कहानी की बदौलत शोहरत पाई बल्कि अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राजकपूर ने अपने फ़िल्मी जीवन की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करके सबको चमत्कृत कर दिया। फ़िल्म की हीरोइन वहीदा रहमान ने वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी।

संगम की सफ़लता के बाद गहन आत्मविश्वास से भरे राजकूपर ने चार अन्य फ़िल्में बनाने की घोषणा की। 1966 में उन्होंने कवि शैलेन्द्र की 'तीसरी कसम' फ़िल्म में अभिनय किया। इस फ़िल्म में उनकी यह सर्वोत्कृष्ट भूमिका थी। यह फ़िल्म सैल्यूलाइड पर लिखी कविता की तरह थी। इस फ़िल्म के लिए राजकपूर ने शैलेन्द्र से केवल एक रुपया ही अपने पारिश्रमिक के रूप में लिया। उन्होंने एक सच्चे मित्र के रूप में शैलेन्द्र को फ़िल्म की असफ़लता के खतरों के बारे में भी बताया लेकिन शैलेन्द्र के लिए धन-सम्पत्ति, यश से अधिक आत्म-सन्तुष्टि थी इसलिए उन्होंने असफ़लता के किसी भी खतरे की परवाह न करते हुए फ़िल्म का निर्माण किया। इस फ़िल्म में राजकपूर, वहीदा रहमान सरीखे कलाकारों ने काम किया। शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज़ संगीतकार ने इसमें अपना संगीत दिया जो कि फ़िल्म प्रदर्शित होने से पहले ही लोकप्रिय हो गया था।

शैलेन्द्र पिछले बीस सालों से फ़िल्म इंडस्ट्री में थे लेकिन कभी उन्होंने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। उन्होंने फणीश्वर रेणु की मूल कहानी के अनुसार ही अपनी इस साहित्य रचना 'तीसरी कसम' का निर्माण किया। इसमें उन्होंने अभावों की ज़िन्दगी जीने वाले लोगों की सच्चाई को कहानी के रूप में दिखाया। उन्होंने अपनी फ़िल्म में लोकतत्त्व को वरीयता दी।

राजकपूर ने इस फ़िल्म में एक खालिस, देहाती, भुच्च गाड़ीवान 'हीरामन' के पात्र को जीवंत किया। वे इस पात्र के साथ एकाकार हो गए हैं। वहीदा रहमान ने भी 'हीराबाई' पात्र के साथ पूरा न्याय किया। राजकपूर इस फ़िल्म के साथ ही एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे।

शैलेन्द्र ने जहाँ अपनी फ़िल्म में लोकतत्व को महत्त्व दिया वहीं हमारी फ़िल्मों में लोकतन्त्र की हमेशा कमी रही। इन फ़िल्मों में ज़िन्दगी की सच्चाई को परदे पर नहीं दिखाया जाता। उनमें केवल दु:ख व पीड़ा को ग्लोरीफाई कर, उनका वीभत्स रूप दिखाकर दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जाता है। जबकि शैलेन्द्र ने दु:ख को सहज व ज़िन्दगी के सापेक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती बल्कि आगे बढ़ने का संदेश देती है।

शैलेन्द्र ने कभी भी दर्शकों की रुचि की आड़ लेकर उथलेपन को नहीं थोपा। वे एक शान्त नदी के प्रवाह व समुद्र की गहराई वाले व्यक्ति थे। 'तीसरी कसम' जैसी फ़िल्म शैलेन्द्र जैसा एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था।

लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी फ़िल्म नहीं चली। इस सार्थक व उद्देश्यपरक फ़िल्म के लिए बड़ी मुश्किल से वितरक मिले क्योंकि इसमें आर्थिक लाभ की सम्भावना बहुत कम थी और यह व्यवसायिकता के गुणों से रहित संवेदनशील फ़िल्म थी। फिर भी यह एक यादगार फ़िल्म रही। इसे कई अवार्ड्स मिले और इसे बनाने से एक सत्य यह भी पता चला कि हिन्दी फ़िल्म जगत में सार्थक व उद्देश्यपूर्ण फ़िल्म बनाना कितना कठिन व ज़ोखिम भरा काम है।

अध्याय — 5 अब कहाँ दूसरों के दु:ख से दु:खी होने वाले

(निदा फ़ाज़ली)

स्मरणीय बिंदु

प्रस्तुत पाठ 'अब कहाँ दूसरों के दु:ख से दुखी होने वाले' निदा फ़ाज़ली द्वारा लिखित है। इसमें दर्शाया गया है कि आज ऐसे लोग कहाँ हैं जो दूसरों के दु:ख से दु:खी होते हों, द्रवित होते हों। ईश्वर ने इस धरती को सभी जीवधारियों के रहने के लिए बनाया है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया है लेकिन मनुष्य, जो कि ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है, ने धीरे-धीरे पूरी धरती को ही अपनी सम्पत्ति बना लिया और अन्य जीवधारियों को दर-बदर कर दिया, इतना ही नहीं, मनुष्य तो अपनी जात को भी बेदख़ल करने से ज़रा भी परहेज नहीं करता। उसे किसी के सुख-दु:ख की परवाह नहीं है। उसे केवल अपने सुख की चिन्ता है। हमें अच्छे और दयालु लोगों की, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना जानते हों और दूसरों के दु:ख दूर करने की प्रेरणा देते हों, ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए तथा अत्याचारी अथवा स्वार्थी लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए।

लेखक ने पाठ में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जो सभी जीव-जन्तुओं अथवा प्राणधारियों की रक्षा करना, उनकी पीड़ा व दु:ख को समझना अपना कर्त्तव्य मानते हैं। लेखक ने सबसे पहले बाइबिल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, का उदाहरण दिया है। वे सभी जीव-जन्तुओं की भाषा समझते थे। एक बार वे सेना के साथ रास्ते से जा रहे थे कि उन्होंने चींटियों की बात सुनी। चींटियाँ घोड़ों की टापों की आवाज़ से व फौज़ से डर कर एक-दूसरे को बिल में जाने के लिए कह रही थीं। तब उन्होंने चींटियों से कहा कि घबराओ नहीं, खुदा ने सुलेमान को सबकी रक्षा के लिए ही बनाया है। वे मुसीबत नहीं, मुहब्बत हैं। वे एक नेकदिल इंसान हैं। दूसरा उदाहरण, उन्होंने सिंधी भाषा के महाकवि शेख-अयाज़ के पिता का दिया है। जब वे खाना खाने बैठे तो उनकी नज़र, उनकी बाज़ू पर रेंग रहे च्योंटे पर पड़ी तो वे अपना खाना छोड़कर, उस बेघर च्योंटे को कुएँ पर उसके घर छोड़ने के लिए चल दिए।

बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के पैगंबर का जिक्र मिलता है। उन्होंने घायल कुत्ते को दुत्कारा था। परन्तु कुत्ते ने कहा कि सबको बनाने वाला एक ही है। नूह उसकी बात सुनकर दु:खी होकर मुद्दत तक रोते रहे। 'महाभारत' में युधिष्ठिर का साथ भी अंत तक एक कुत्ते ने निभाया।

लेखक कहता है कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था परन्तु अब टुकड़ों में बँटकर एक-दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े-बड़े आँगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, पर अब छोटे-छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटना शुरू हो गया है।

ये धरती किसी एक की नहीं है बल्कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है लेकिन मानव जाति ने अपनी बुद्धि से इसमें दीवारें खड़ी कर दी हैं। बढ़ती हुई आबादी, प्रदूषण हथियारों के कारण वातावरण में बहुत अधिक बदलाव हो गया है। अधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का ही परिणाम है।

लेखक के अनुसार उनकी माँ बहुत दयालु थीं। वे कहती थीं कि फूल-पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, दरिया को सलाम करना चाहिए, कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, मुर्गे को परेशान नहीं करना चाहिए।

लेखक के ग्वालियर के घर में बने कबूतर के घोंसले में से बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया था। लेखक की माँ ने देखा तो उसे दु:ख हुआ। उन्होंने दूसरे अंडे को बचाना चाहा तो वह उनके हाथ से टूट गया जिसके कारण कबूतर परेशानी में इधर-उधर फड़फड़ाने लगे। उनकी आँखों में दु:ख को देखकर माँ की आँखों में भी आँसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए माँ ने पूरे दिन रोज़ा रखा। सिर्फ नमाज़ पढ़ी और रो-रोकर खुदा से माफ़ी माँगती रही।

लेखक के बंबई के फ्लैट में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था लेकिन उनके द्वारा परेशानी होने पर लेखक की पत्नी ने उनके घोंसले पर जाली लगवा दी। इस कारण से दोनों कबूतर रात भर खिड़की से बाहर खामोश और उदास बैठे रहते, लेकिन अब न तो सोलोमन था जो कबूतरों की भाषा समझकर उनका दुःख दूर कर सके, न ही लेखक की माँ है जो उनके दुःख में प्रार्थना करती रहे। अर्थात् समय के साथ लोगों की भावनाओं में भी बहुत अन्तर देखने को मिल रहा है। अंत में लेखक कहता है कि हमें नदी व सूरज की तरह दूसरों की भलाई के कार्य करने चाहिए, तभी संसार के सभी जीव सुखी व प्रसन्न हो पाएँगे।

अध्याय — 6 पतझड़ में टूटी पत्तियाँ (i) गिन्नी का सोना (ii) झेन की देन

(रविन्द्र केलेकर)

स्मरणीय बिंदु

श्री रवीन्द्र केलेकर द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ के अन्तर्गत दो लेख—(1) गिन्नी का सोना और (2) झेन की देन वर्णित हैं। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझने की माँग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने-सुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं जिनका सारांश निम्न प्रकार है—

(1) गिन्नी का सोना—गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख-साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं।

पाठ की विषय-वस्तु के अनुसार शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। जब गिन्नी के सोने में थोड़ा-सा ताँबा मिलाया हुआ होता है, तब वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मज़बूत भी होता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा-सा ताँबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें 'प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट' कहकर उनका बखान करते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। लाभ-हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है।

(2) झेन की देन—दूसरा प्रसंग 'झेन की देन' बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। पाठ के प्रसंगानुसार जापान में लेखक ने अपने एक मित्र से पूछा, "यहाँ के लोगों को कौन-सी बीमारियाँ अधिक होती हैं?" तब उसने कहा, 'मानसिक'। यहाँ के अस्सी प्रतिशत लोग मनोरुग्ण हैं। हमारे जीवन की रफ़्तार बढ़ गई है, यहाँ लोग चलते नहीं, बल्कि दौड़ते हैं। वे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं जिस कारण उनमें मानसिक रोग बढ़ गए हैं। एक दिन लेखक एक जापानी मित्र के साथ टी-सेरेमनी में गया। वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण था। चाय पीने पर उसे शांति प्राप्त हुई और दिमाग की रफ़्तार धीरे-धीरे धीमी पड़ती जा रही थी, वह अनुभव करने लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। उसके सामने वर्तमान क्षण था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। झेन परम्परा की यही देन जापानियों को मिली है।

अध्याय — 7 कारतूस

(हबीब तनवीर)

स्मरणीय बिंदु

हबीब तनवीर द्वारा लिखित पाठ 'कारतूस' एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी पाठ में एक ऐसे ही जाँबाज़ के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना साहसी था कि शेर की माँद में पहुँच कर उससे दो-दो हाथ करने की हिम्मत रखता था। वह कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं गया बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब जमाया कि वह भी उसकी वीरता का कायल हो गया।

एकांकी के नायक रूप में ब्रिटिश अफसरों के लिए सिर-दर्द बना जाँबाज़ योद्धा वज़ीर अली था। अवध के दरबार में अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव था। सआदत अली आसिफउद्दौला का भाई और वज़ीर अली का दुश्मन था। जब सआदतअली को अवध के तख़्त पर बिठाया

गया, उससे अंग्रेज़ों को काफी आर्थिक लाभ हुआ और उनका प्रभाव भी बढ़ गया। वज़ीर अली अंग्रेज़ों की हुकूमत को समाप्त करना चाहता था। उसने अफगानिस्तान के बादशाह शाहे-ज़मा को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने की दावत (आमंत्रण किया) दी। वज़ीर अली एक दिलेर, बहादुर, स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति था, जिसे अंग्रेज़ सरकार और अवध का तत्कालीन नवाब अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। वे किसी भी स्थिति में उसे गिरफ़्तार करना चाहते थे। एक दिन ब्रिटिश लेफ़्टीनेंट ने जहाँ अपना शिविर लगा रखा था, वहाँ वज़ीर अली एक घुड़सवार के रूप में आता है और कर्नल से वज़ीर अली की गिरफ़्तारी में मदद करने के लिए कारतूस माँगता है, कारतूस प्राप्त हो जाने पर वह अपना परिचय वज़ीर अली के रूप में देता है और कर्नल को जीवनदान देकर वहाँ से चला जाता है। कर्नल यह दृश्य विस्मयपूर्वक देखता रह जाता है और अंत में कर्नल उसे एक जाँबाज़ सिपाही के संबोधन से पुकारता है।

काव्य-खंड (ब) वर्णनात्मक प्रश्न पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग-2

अध्याय — 1 साखी (कबीर दास)

स्मरणीय बिंदु

कविता का सारांश

कबीर ग्रंथावली से संकलित 'साखी' कबीरदास द्वारा रचित है। 'साखी' शब्द 'साक्षी' शब्द का ही तद्भव रूप है। साखी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है—प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। 'साखी' वस्तुतः दोहा छंद ही है। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ इसका प्रमाण हैं कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु, शिष्य को जीवन के तत्त्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रखने योग्य भी।

इन साखियों में संत कबीर ने वाणी, ईश्वर, आत्मज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, विरह, निंदक, व्यावहारिक ज्ञान आदि के विषय में बताया है। कबीर कहते हैं ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे बोलने व सुनने वाले दोनों को शान्ति मिले। वे कहते हैं कि राम तो प्रत्येक प्राणी के मन में वास करता है फिर भी लोग उसे देख नहीं पाते। अहंकार और परमात्मा इकट्ठे नहीं रह सकते। परमात्मा का बोध जगने पर अहंकार मिट जाता है। प्रभु का रहस्य जानकर, उनके विरह में तड़पने वाला मनुष्य दु:खी है जबकि संसारी लोग सुखी हैं। विरह रूपी साँप के डँसने से विरहणी आत्मा तड़पती है, उसे परमात्मा के बिना शान्ति नहीं मिलती। निंदक को अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के स्वभाव को निर्मल करता है। ईश्वर प्रेम के ढाई अक्षर से ही मिलते हैं। अपनी सांसारिक वासनाओं रूपी घर को जलाने पर ही प्रभु की प्राप्ति होती है।

अध्याय — 2 पद (मीरा)

स्मरणीय बिंदु

प्रस्तुत पाठ में संकलित 'पद' मीरा ग्रंथावली से लिए गए हैं। कवयित्री मीराबाई ने इन दोनों पदों में अपने आराध्य श्रीकृष्ण को सम्बोधित किया है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार (प्रार्थना) भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं और मौक़ा आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकतीं। उनकी क्षमताओं का गुणगान एवं स्मरण करती हैं और उन्हें उनके कर्त्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती।

पहले पद में, कवयित्री मीरा, भगवान श्रीकृष्ण भक्तों के प्रति प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्रीकृष्ण अपने भक्तों के दु:ख हरने वाले हैं जैसे उन्होंने द्रोपदी के चीर (साड़ी) बढ़ाकर उसकी लाज रखी, भक्त प्रहलाद की नरसिंह रूप धारण कर के जान बचाई, ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया, उसी प्रकार अपनी इस दासी अर्थात् भक्त के भी दु:खों का नाश कर दें, उनके दु:खों को हर लें।

दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि श्रीकृष्ण उन्हें नौकर (सेविका) बना कर रख लें। मीरा हर प्रकार से श्रीकृष्ण के पास रहना चाहती हैं इसलिए वे कहती हैं कि नौकर बनकर वे बग़ीचा लगाएँगी ताकि इसी बहाने

नित्य प्रातः प्रभु के दर्शन कर सकें। वृंदावन की संकरी गलियों में गोविन्द की लीला का गुणगान करेंगी। वे कहती हैं कि नौकर बनकर उनको तीन फ़ायदे होंगे-उन्हें हमेशा श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, उनकी याद नहीं सताएगी, भक्ति रूपी भाव का साम्राज्य बढ़ता जाएगा। वे कहती हैं मोहनमुरली वाले पीले वस्त्र, मोर के पंख व वैजयन्ती फूल की माला धारण किए हुए है और वृंदावन में वे गाय चराते हैं। वे ऊँचे-ऊँचे महल बनाकर उसकी खिड़कियों से, कुसुम्बी साड़ी पहनकर, श्रीकृष्ण का दर्शन करेंगी। वे अपने प्रभु गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए बहुत बेचैन है। तभी वे आधी रात को ही यमुना जी के तट पर उनके दर्शन करना चाहती हैं।

अध्याय — 3 मनुष्यता (मैथिलीशरण गुप्त)

स्मरणीय बिंदु

कविता का सारांश

'मैथिलीशरण गुप्त रचित 'मनुष्यता' कविता में देश-हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। कविता का सार इस प्रकार है—

मनुष्य-जीवन नश्वर है अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु-प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना-मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशोगाथा गाई जाती है जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है।

रंतिदेव, दधीचि, उशीनर, कर्ण आदि महान् आत्माओं ने संसार के हित में बढ़-चढ़कर त्याग किया अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। कवि मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि कभी धन और सुरक्षा का गुमान (घमंड) नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन नर वह है जो अधीर होकर हाय-हाय करता है।

इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर सहायता से आगे बढ़ें। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानें। एक परमात्मा ही सबका पिता है चाहे लोगों के कर्म विविध हों किन्तु अंतरात्मा से सभी एक हैं। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे की व्यथा हरने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल-जोल बढ़ाते हुए राह के रोड़ों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए औरों का उद्धार करे।

अध्याय — 4 पर्वत प्रदेश में पावस (सुमित्रानंदन पंत)

स्मरणीय बिंदु

कविता का सारांश

'पर्वत प्रदेश में पावस' नामक कविता 'वारिद' से संकलित पंत जी की कविता है। सुमित्रानंदन पंत जी का पर्वतीय प्रदेश से गहरा सम्बन्ध था। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो? जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता बैठे-बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी-अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो तो इससे अधिक आनंद का विषय क्या हो सकता है!

प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों से निहारने की अनुभूति होती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की कविताएँ पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं, जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आस-पास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं।

वर्षा ऋतु है। पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति क्षण-क्षण में अपने स्वरूप को बदलकर प्रकृति वेश धारण कर रही थी। मेखलाकार पर्वत श्रेणियों के तलहटी के जल प्रपात, झीलों (तालाब) के जल में गिरने की आवाज़ पर्वत के विद्यमान होने का प्रमाण दे रहा था। पर्वतों से गिरने वाले झरने झागों से युक्त होकर बह रहे थे। पर्वतों के हृदय पर ऊँचे-ऊँचे वृक्ष नीचे पृथ्वी की ओर झाँक रहे थे। अचानक पहाड़ों पर विशाल आकार के बादल बहुत भयानक स्वर में गरजना शुरू कर देते हैं। गहरे कोहरे के कारण तालाब से धुआँ उठता दिखाई दे रहा है। मूसलाधार वर्षा होने के कारण दृश्य ओझल हो जाता है, केवल झरनों का स्वर ही सुनाई दे रहा है।

अध्याय — 5 तोप (वीरेन डंगवाल)

स्मरणीय बिंदु

कविता का सारांश

प्रस्तुत कविता पाठ में कवि श्री वीरेन डंगवाल ने दो प्रतीकों का चित्रण किया है। पाठ हमें यह स्मरण कराता है कि कभी ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन धीरे-धीरे वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार कीं। उन तोपों ने, इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाँबाज़ों को मौत के घाट उतारा, पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका। तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी कम्पनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हों और यहाँ फिर से वही तांडव न मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ के तोप आ रही है,..................

अध्याय — 6 कर चले हम फ़िदा (कैफ़ी आज़मी)

स्मरणीय बिंदु

'कर चले हम फ़िदा' 'हकीकत' फ़िल्म का कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित मशहूर गीत है। इसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है। इसका सार इस प्रकार है—

सैनिक अपने अन्य साथियों से कहता है कि हम तो अपने देश की रक्षा करते हुए उस पर कुर्बान हो गए हैं। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। हमने आखिरी साँस तक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज़-रोज़ नहीं आता। यह सौभाग्य की बात है कि आज देश की धरती की रक्षा के लिए शत्रुओं का लहू बहाना है। कुर्बानियों की जो राह हमने बनाई है वह आगे भी बनी रहे, इसके लिए तुम स्वयं को तैयार रखना। आज आर-पार की लड़ाई का समय है तुम बलिदान देने को तैयार रहना।

साथियों ! तुम अपने खून से धरती पर लकीर खींच कर कह दो कि लकीर के पार कोई भी रावण नहीं आ पाएगा। यदि कोई हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठे तो तुम उसे काट डालना किंतु भारतमाता रूपी सीता का दामन मैला न होने देना। तुम्हीं देश रूपी सीता के लिए राम हो, तुम्हीं लक्ष्मण हो। अब यह देश तुम्हारे हवाले है। इसकी रक्षा करना।

अध्याय — 7 आत्मत्राण (रवीन्द्र नाथ ठाकुर)

स्मरणीय बिंदु

प्रस्तुत कविता 'आत्मत्राण' गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित है जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसका हिन्दी अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रभु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु! मुझे संकटों से मत बचाओ। बस उनसे निडर रहने की शक्ति दो। मुझे दु:ख सहने की शक्ति दो। कोई सहायक न मिले तो भी मेरा बल न हिले। हानि में भी मैं हारूँ नहीं। मेरी रक्षा चाहे न करो किन्तु मुझे तैरने की शक्ति ज़रूर दो। मुझे सांत्वना चाहे न दो किन्तु दु:ख झेलने की शक्ति अवश्य दो। मैं सुख में भी तुम्हें याद रखूँ। बड़े-से-बड़े दु:ख में भी तुम पर संशय न करूँ।

कविवर रवीन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा रचित कविता 'आत्मत्राण' का बांग्ला से हिन्दी में रूपान्तरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर! उन्हें दु:ख व कष्टों से बचा लो, वे ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे बल्कि वे चाहते हैं कि उन्हें उन दु:खों व कष्टों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के आने पर वे कभी न डरें, उनका सामना करें। दु:ख-दर्द से भरे उनके मन को सांत्वना मत दो। परन्तु हे ईश्वर, उनमें इतना आत्म-विश्वास भर दो कि हर दु:ख का सामना कर, उस पर विजय प्राप्त कर सकें। कष्टों में कोई सहायता न मिले, कोई बात नहीं लेकिन उनका मनोबल व पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। हानि होने पर भी उनके मन की शक्ति का क्षय अर्थात् नाश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास से उनका मन प्रत्येक स्थिति में भरा रहे। उनकी प्रभु से यह प्रार्थना नहीं कि उनको भय से दूर रखें बल्कि स्वस्थ रखकर इस भवसागर को पार करने की शक्ति दें। कष्टों का भार कम न करें, परन्तु निर्भयता दें। सुख के क्षणों में वे प्रभु को एक क्षण न भूले, हर क्षण याद करते रहें। दु:ख की रात में भी, प्रभु के ऊपर उनको संदेह न हो।

पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग-2

अध्याय — 1 हरिहर काका (मिथिलेश्वर)

स्मरणीय बिंदु

पाठ का सारांश

कथाकार मिथिलेश्वर ने 'हरिहर काका' कहानी के माध्यम से एक वृद्ध ग्रामीण के चरित्र को दर्शाया है। शहर आरा से चालीस किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव में हरिहर काका रहते थे जो वृद्ध और नि:संतान व्यक्ति थे, वैसे उनका भरा-पूरा संयुक्त परिवार है। हरिहर काका ने दो शादियाँ की थीं परन्तु बिना संतान सुख दिए उनकी दोनों पत्नियाँ स्वर्ग सिधार गईं। हरिहर काका चार भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है और सभी बाल-बच्चेदार हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल साठ बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में पन्द्रह बीघे पड़ेंगे। हरिहर काका के हिस्से में पन्द्रह बीघे खेत हैं जिस पर खेती का कार्य उनके भाइयों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

हरिहर काका के तीनों भाई, उनकी पत्नियाँ और बच्चे उनकी देखभाल करते हैं। उन्हें भाइयों द्वारा यह सीख दी गयी थी कि वे हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। समय से नाश्ता-खाना दें। किसी बात की तकलीफ़ न होने दें। सभी परिवारीजन काका की तबीयत खराब हो जाने पर चिन्तित हो जाते थे। काका की इच्छा-अनिच्छा का भी ध्यान रखा जाता था। उस सबके मूल में काका की ज़मीन थी।

गाँव में 'ठाकुरबारी' थी, जिसमें लोगों की बहुत श्रद्धा थी। उस धार्मिक स्थान पर साधु-संतों का आवागमन होता रहता था। वहाँ एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर की देखभाल के लिए महंत जी (पुजारी) नियुक्त किए गए थे। काका का 'ठाकुरबारी' में आवागमन बना रहता था। काका भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। महंत जी से काका प्रारम्भ में बहुत प्रभावित थे।

वे उनके पास बैठकर धार्मिक एवं पारिवारिक चर्चाएँ करते थे। किसी तरह से महंत जी को काका की ज़मीन के विषय में ज्ञात हो गया, उन्होंने काका को धर्म, दान, पुण्य की बातें समझाकर भूमि ठाकुरबारी के नाम करने का आग्रह किया और इधर 'ठाकुरबारी' में भी काका की आवभगत की जाने लगी। बार-बार महंत जी द्वारा काका को अपने हिस्से की ज़मीन 'ठाकुरबारी' के नाम करने की कहे जाने पर वे समझ गए कि महंत जी ज़मीन के कारण ही उनको इतना सम्मान देते हैं। जब काका के द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई तो महंत जी ने 'साम-दाम दण्ड भेद' की नीति को ध्यान में रखकर एक दिन काका को उनके घर से अपने आदमियों द्वारा उठवा लिया और ज़बरदस्ती कागज़ों पर अँगूठे के निशान लगवा लिए। खबर लगने पर उनके भाई पुलिस को लेकर 'ठाकुरबारी' में गए और वहाँ से बुरी हालत में काका की जान बचाकर अपने घर ले आए।

'ठाकुरबारी' से वापस लौटने के बाद काका का 'ठाकुरबारी' के महंत जी के ऊपर से विश्वास उठ गया और उन्होंने 'ठाकुरबारी' के महंत जी के ऊपर मुकद्दमा दायर कर दिया जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती अँगूठे के निशान लिए थे। इधर सीधे-सादे, भोले किसान की अपेक्षा हरिहर काका चतुर और ज्ञानी हो चले थे। उन्हें आभास हो गया कि उनको सुरक्षा और आदर अपने भाइयों से ही मिल सकती है। वह भी तब तक जब तक कि उनकी ज़मीन उनके पास है। परिवार में रहते हुए काका का समय बीतने लगा। लेकिन, भाइयों की गिद्ध-दृष्टि काका की ज़मीन पर थी, वे चाहते थे कि काका यह ज़मीन जीते जी उनके नाम कर दें, कहीं धोखे से महंत जी को यह मालूम नहीं हो जाए। अन्त में काका से ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए भाइयों ने महंत जी से भी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर काका को यातनाएँ देना शुरू कर दिया। उन्हें जान से मारने के लिए तैयार हो गए। वे कहते थे, "सीधे मन से कागज़ों पर हस्ताक्षर करो नहीं तो मारकर घर के अन्दर ही गाड़ देंगे।" हरिहर काका द्वारा मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इसकी भनक ठाकुरबारी के महंत को हुई तो वे तुरन्त पुलिस ले हरिहर काका के घर पहुँचे। पुलिस को देखकर परिवार वाले तो भाग गए लेकिन हरिहर काका बच गए। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि भाईयों ने जबरदस्ती कागजों पर अँगूठे का निशान ले लिया है। हरिहर काका ने अपने लिए सुरक्षा की माँग की। इसके बाद वे परिवार से अलग रहने लगे और सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। कुछ गाँव वाले भी उन पर अपनी ज़मीन परिवार वालों के नाम व कुछ गाँव वाले ठाकुरबारी के नाम करने का दबाव बनाने लगे। एक नेताजी ने काका से अपनी ज़मीन गाँव में विद्यालय बनाने के लिए देने का प्रस्ताव रखा लेकिन काका ने मना कर दिया। पुलिस वाले उनके पैसों पर मौज कर रहे थे। काका मानसिक तनाव के कारण गूँगेपन का शिकार हो गए और रिक्त आँखों से आसमान को ताकते रहते।

अध्याय — 2 सपनों के से दिन (*गुरदयाल सिंह*)

स्मरणीय बिंदु

पाठ का सारांश

प्रस्तुत कहानी 'सपनों के से दिन' में लेखक गुरदयाल सिंह ने अपने बचपन के दिनों की खट्टी-मीठी यादों का अति सजीव तथा मनोहारी वर्णन किया है। बचपन में लेखक और उनके दोस्त सभी एक जैसे थे। सभी दिनभर खूब मस्ती करते और चोट लग जाने पर जब घर पहुँचते

तो माँ-बाप के द्वारा उनकी खूब पिटाई होती थी लेकिन फिर भी अगले दिन वह खेल खेलने पहुँच जाते थे। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाते थे। वे सभी बच्चे स्कूल व पढ़ाई को तो कैद समझते थे। खेल-कूद के ये चार दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज भी लेखक को वे दिन खूब याद आते हैं।

जब स्कूलों की छुट्टियाँ होतीं तो लेखक अपने ननिहाल जाता था। वहाँ नानी उसे खूब खिलाती-पिलाती व लाड़ करती थी। दोपहर तक लेखक और उनके दोस्त खूब मस्ती करते। कोई पानी में कूद जाता तो कोई रेत के टीले पर चढ़कर रेत लपेटता और तालाब में कूद जाता था। जिन्हें तैरना नहीं आता वे गहरे पानी में भी चले जाते तब बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जाता। इस प्रकार छुट्टियाँ बीतने लगतीं। तब लेखक को अपनी पढ़ाई से सम्बन्धित काम की याद आने लगती थी। कुछ लड़के सोचते थे कि काम न करने के बदले में मास्टर जी से पिटना सस्ता सौदा है। लेखक भी ऐसे बहादुर लड़कों की तरह सोचता था।

लेखक का स्कूल छोटा-सा था। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतार में खड़े रहते थे। जरा भी कतार टेढ़ी हुई पी.टी. के मास्टर प्रीतमचंद बाज की तरह लड़कों पर झपट पड़ते थे। वे स्काउट परेड भी कराते थे। थोड़ा-सा हिलने पर दंड देते, परन्तु अच्छा काम करने पर शाबाशी भी देते थे। लेखक को यह परेड करना बहुत अच्छा लगता। उसके मन में भी फ़ौजी बनने की इच्छा जाग्रत हो चुकी थी। हैड मास्टर मदन मोहन शर्मा स्वभाव से बहुत नरम और हँसमुख थे। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जागा। उसे नई कापियों और पुरानी किताबों से अजीब-सी गंध आया करती थी। उसे परेड ह्विसल व बूटों की खटपट से दाएँ-बाएँ घूमना ही अच्छा लगता था। लेखक की आँखों के सामने बचपन के वो हँसते-खेलते दिन सजीव हो जाया करते हैं।

अध्याय — 3 टोपी शुक्ला *(राही मासूम रज़ा)*

स्मरणीय बिंदु

पाठ का सारांश

'टोपी शुक्ला' कहानी में लेखक श्री राही मासूम रज़ा ने अपनेपन की तलाश में भटकते, अटकते नज़र आते पात्र टोपी को नायक बताया है। कथानायक टोपी के अपनेपन की पहली खोज इफ़्फ़न से पूरी होती है। टोपी का अज़ीज़ दोस्त इफ़्फ़न है, उसकी दादी माँ और घर की नौकरानी सीता ग्रामांचल की बोली बोलने में निपुण हैं।

लखनऊ शहर में एक जाने-माने डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला रहते थे, उनका बेटा टोपी शुक्ला था और उनके पड़ोस में सैय्यद मुर्तजा हुसैन और उनका पुत्र इफ़्फ़न था। दोनों बच्चों में गहरी मित्रता थी। एक-दूसरे के साथ दोनों पात्रों (मित्रों) का विकास जुड़ा था। वे एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। टोपी को इफ़्फ़न की दादी से बहुत स्नेह (लगाव) था, घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं था फिर भी वह लाख मना करने के बावजूद इफ़्फ़न की हवेली की तरफ बरबस खिंचा चला जाता। इफ़्फ़न की दादी एक ज़मींदार की बेटी थी। घर में दूध, घी खाती आई थीं परन्तु विवाह के बाद लखनऊ आकर मौलवी की पत्नी बनने के बाद घी, दूध के लिए तरस गईं। वह मौका मिलने पर मायके जाने के लिए उतावली रहती।

इफ़्फ़न जब चौथी कक्षा में पढ़ता था, टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़्फ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था, वैसे उससे घर पर सभी प्यार करते थे, परन्तु दादी से उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता था, दादी कभी उसका दिल नहीं दुखातीं और वह रात को भी उसे कहानियाँ सुनाया करती थीं परन्तु इसके विपरीत टोपी के घर में उसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि दादी से उसे स्नेह नहीं मिलता इसलिए इफ़्फ़न की दादी को टोपी बहुत पसन्द करता था और उसे उनसे बहुत स्नेह मिलता था।

एक दिन अचानक टोपी के मुख से भोजन के समय 'अम्मी' शब्द निकल गया, जिसके कारण घर में टोपी को बुरा-भला कहा गया। दादी, माँ, पिता आदि सभी से उसे डाँट पड़ी। टोपी के ऊपर इफ़्फ़न के घर न जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया। घर के नौकर ने टोपी की झूठी शिकायत करते हुए कहा, "कि उसने टोपी को कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा है।" इस शिकायत पर टोपी के घर उसकी माँ राम दुलारी द्वारा बहुत पिटाई की गई।

बालक टोपी का मन इस घटना के बाद से बहुत दुःखी रहने लगा, उसने इफ़्फ़न से कहा, "क्या हम लोग अपनी दादी बदल लें।" "तोहरी दादी हमारे घर चली आएँ और हमरी तोहरे घर चली जाएँ।" कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक दिन इफ़्फ़न की दादी की मृत्यु हो गई। इस घटना से टोपी अकेला और दुःखी रहने लगा। जब वह इफ़्फ़न के घर पहुँचा, उसने घर को सूना और अपने आपको अकेला पाया। उसे दुःख था कि इफ़्फ़न की दादी क्यों मर गयी, उसकी जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई।

दस अक्टूबर, 1945 के दिन टोपी शुक्ला का मित्र इफ़्फ़न लखनऊ छोड़कर मुरादाबाद चला गया, क्योंकि इफ़्फ़न के पिता कलेक्टर, सैय्यद मुर्तजा हुसैन साहब का तबादला मुरादाबाद हो गया था। अब टोपी अकेला रह गया था। धीरे-धीरे टोपी बड़ा होने लगा और वह कक्षा नौ में आ गया। उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी आ गई थी, उसे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता था एवं टाइफाइड होने के कारण वह नौवीं कक्षा में तीन बार फेल हुआ जिस कारण उसे मानसिक रूप से भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह वह तृतीय श्रेणी से पास होकर अगली कक्षा में आया। इस सबके बावजूद उसे घर में प्रोत्साहन मिलने की बजाय कटु आलोचनात्मक शब्द सुनने को मिले। दादी ने कहा, "वाह! भगवान नजरे-बद से बचाए। रफ़्तार अच्छी है। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए।....."

लेखन

अध्याय — 1 अनुच्छेद-लेखन

स्मरणीय बिंदु

अनुच्छेद-लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण बातों को निर्धारित शब्द सीमा में लिखने के लिए बड़े बुद्धि-कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद-लेखन के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी आवश्यक है :

(1) अनुच्छेद-लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन-शैली है, अत: इसमें मुख्य विषय पर ही ध्यान रखना चाहिए।

(2) अनुच्छेद-लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं हैं। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है।

(3) अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके अपेक्षित प्रभाव को शिथिल बनाती है।

(4) अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए।

(5) अनुच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अन्तिम वाक्य सारगर्भित तथा प्रभावोत्पादक होना चाहिए।

(6) प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के सम्बन्ध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई है।

(7) अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली कर देता है।

(8) अनुच्छेद-लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है।

(9) अनुच्छेद-लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बाँधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न-पत्र में कहे गए हैं। दो-चार शब्द कम-अधिक होना आपत्तिजनक नहीं होता।

(10) सामान्यत: .80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है।

परीक्षा में संकेत-बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद-लेखन करने को कहा जाता है अत: विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले वे उन संकेत-बिन्दुओं के भाव को समझें। उनमें संबंध बनाएँ। मन ही मन एक क्रम और लय बनाने के बाद उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखें। यहाँ अभ्यास हेतु कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, विद्यार्थी इनका भलीभाँति अध्ययन करें व किसी विषय पर अनुच्छेद लिखने का प्रयत्न करें।

अध्याय — 2 पत्र-लेखन (औपचारिक)

स्मरणीय बिंदु

पत्र-लेखन की कला अत्यन्त प्राचीन है। मनुष्य के पठन-पाठन के साथ ही इस विद्या का प्रारम्भ हुआ था। पत्र वह संदेश वाहक दूत है, जो हमारे संदेश दूर बैठे परिचितों-अपरिचितों तक पहुँचाता है। इसके द्वारा मन की बात लिखकर विस्तार से प्रकट की जा सकती है। पत्र को अगर 'मन का आईना' कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी इसलिए आज के कम्प्यूटर युग में भी पत्र का हमारे जीवन में एक विशेष महत्त्व है।

अच्छे पत्र की विशेषताएँ

वास्तव में पत्र लिखना भी एक कला है इसलिए एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है—

(1) पत्र की भाषा-शैली सरल हो

(2) पत्र में संक्षिप्तता, क्रमबद्धता तथा प्रभावान्विति हो

(3) पत्र में विनम्रता एवं बाह्य आकर्षण हो

पत्रों के प्रकार

पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—

(1) अनौपचारिक अथवा पारिवारिक पत्र—इसके अन्तर्गत परिवार के लोगों, मित्रों व निकट सम्बन्धियों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं।

(2) औपचारिक अथवा कार्यालयी पत्र—इसके अन्तर्गत आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, प्रार्थना पत्र तथा व्यावसायिक पत्र आते हैं।

अध्याय — 3 सूचना-लेखन

स्मरणीय बिंदु

'सूचना लेखन' से अभिप्राय किसी घटना अथवा कार्य योजना का पूर्ण विवरण है। इसके अन्तर्गत किसी सभा, बैठक, गोष्ठी, कार्यशाला, नामादि परिवर्तन अथवा अन्य विनिमय का विवरण आता है।

सूचना-लेखन में सावधानियाँ

(i) सूचना लेखन अति संक्षिप्त हो
(ii) सभी प्रमुख बातें समाहित हों
(iii) सूचना तथ्यों से युक्त एवं स्पष्ट हो
(iv) भ्रमित करने वाले वाक्यों से बचना चाहिए
(v) सूचना क्रमबद्ध हो
(vi) सूचना की भाषा सरल हो
(vii) सूचना लेखन से पूर्व उसका एक संक्षिप्त शीर्षक दें
(viii) शीर्षक की बाईं ओर तिथि अवश्य लिखें

अध्याय — 4 विज्ञापन-लेखन

स्मरणीय बिंदु

विज्ञापन लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए—

1. विज्ञापन लेखन लगभग 60 शब्दों में लिखना चाहिए।
2. विषय का आरम्भ सीधा विषय से होना चाहिए।
3. वाक्य छोटे-छोटे तथा आपस में जुड़े होने चाहिए।
4. भाषा सरल तथा सार्थक होनी चाहिए।
5. अभ्यास तथा प्रयास से विज्ञापन लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है।

आज का युग विज्ञापनों का युग है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएँ आदि इसके मुख्य साधन हैं। विज्ञापन एक कला है और इसके द्वारा उत्पादक अपने सामान की सूचना जानकारी और प्रसिद्धि को जन-जन तक पहुँचाता है। आज तो विज्ञापनों द्वारा अधिकतर व्यापार चलता है। बाज़ार में आने-जाने वाली नई वस्तुओं की विशेषताओं की जानकारी विज्ञापन द्वारा घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। विज्ञापनों के लिए आजकल तो कम्प्यूटर की सहायता से बड़े ही आकर्षक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से विज्ञापनों का हमारे लिए बहुत ही उपयोग और महत्त्व है।

अध्याय — 5 लघु कथा-लेखन

स्मरणीय बिंदु

कथा-लेखन गद्य साहित्य जगत की सबसे रोचक विधा है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। यह एक ऐसी विधा है जो अपने सीमित क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वतंत्र है, प्रभावशाली है। जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। उसके पात्र, उसकी भाषा-शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं।

छात्रों को कहानी (कथा) लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. कथा/कहानी लिखने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए।
2. कहानी का शीर्षक सुन्दर व आकर्षित होना चाहिए।
3. कहानी की भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए।

4. कहानी लिखते समय विभिन्न घटनाओं और उसमें आए प्रसंगों को संतुलित रूप में लिखना चाहिए।
5. कहानी में न तो बहुत छोटे वाक्य और न ही अति आवश्यक रूप से विस्तृत बड़े-बड़े वाक्य होने चाहिए।
6. सबसे ज़रूरी बात, कहानी से पाठक को कोई न कोई उपदेश या शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए।
7. कथा-लेखन भूतकाल में लिखना चाहिए।

अध्याय — 6 ई-मेल लेखन

प्रस्तावना

ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, इन्टरनेट के माध्यम से, पत्र भेजने का एक तरीका है। मेल शब्द का अर्थ होता है संदेश, अर्थात् इससे हम यह समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार की चिट्ठी या संदेश होता है, जब इस संदेश या चिट्ठी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है तो उसे ई-मेल (e-mail) कहते हैं। ई-मेल के द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे इंसान तक सिर्फ कुछ सेकण्ड में ही अपना संदेश भेज सकते हैं और अन्य इंसान द्वारा भेजा संदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप में पा सकते हैं।

ई-मेल के साथ हम अन्य फाइलें जैसे—फोटो या डॉक्युमेन्ट्स भी जोड़कर भेज सकते हैं।

❑❑

OSWAAL BOOKS LEARNING MADE SIMPLE